भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 319

सोमवार, 2 फ़रवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

श्रम संहिताओं के लिए नियम

†319. **श्री वी. के. श्रीकंदन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चार श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को पहले ही प्रकाशित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 45 दिन का समय देकर इस पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने उक्त कदम के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ आगे बातचीत करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने दिनांक 21.11.2025 को चार श्रम संहिताएं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर कोड), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020(ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड) लागू की हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 30.12.2025 को चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। तीन संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, सीओएसएस, 2020 और ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020 के अधीन टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 45 दिनों की अवधि प्रदान की गई है, जबकि आईआर कोड, 2020 के तहत 30 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत ही चार श्रम संहिताएं लागू की गईं थी। चारों श्रम संहिताओं के अधिनियमन से पहले हितधारकों द्वारा उठाई गई टिप्पणियों और चिंताओं को विधिवत स्वीकार किया गया था और उनकी जांच की गई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय संहिताओं के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित हितधारकों के साथ सतत रूप से संपर्क में है।
